payment to the next of the kin of the deceased.

कोल इंडिया लिमिटेड में सलाहकार

679. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड में कई सलाहकार कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एक ओर तो सलाहकारों की नियुक्ति तथा दूसरी ओर अधिशेष कर्मचारियों और अधिकारियों की छंटनी का मामला है, इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन सलाहकारों के माफिया लोगों तथा कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष के साथ संबंध कायम हैं; और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) कोल इंडिया लि० जो एक धारक कंपनी है, ने क्रमशः भूमि अधिग्रहण के मामलों तथा पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित अध्ययनों को तैयार किए जाने के लिए दो पूर्णकालिक सलाहकार, परामर्शदाता नियुक्त किया है। कंपनी विभिन्न निकायों में परामर्शदाताओं का एक पैनल भी रखती है, जिनकी सेवाओं का उपयोग जिनकी विशेषज्ञता क्षेत्रों में जब भी आवश्यकता होती है तब अस्थायी आधार पर किया जाता है।

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड में अतिरिक्त कर्मचारियों की छंटनी नहीं होती है। किन्तु सरकार ने कंपनी को सलाहकारों/परामर्शदाताओं की नियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया को जारी न रखने की सलाह दी है।

(घ) इन सलाहकारों का माफिया अथवा कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष के साथ संबंध होने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) जी, नहीं। इस संबंध में किसी तरह की जांच नहीं की गई है।

कोयले के ग्रेड में परिवर्तन से संबंधित आंकड़े

680. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लि० के पास ग्रेड "ई" कोयले को ग्रेड "डी" कोयले में परिवर्तित करने संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उस अधिकारी का पदनाम क्या है, जो परिवर्तन के उक्त कार्य के लिए प्राधिकृत है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए गत वर्ष कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (घ) जैसाकि कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) ने सूचित किया है कि सामान्यतः आबंटित किए गए "ई" ग्रेड के कोयले के आबंटियों को ग्रेड "डी" कोयले में परिवर्तित नहीं किया जाता है। किन्तु आबंटित ग्रेड के कोयले की अनुपलब्धता होने तथा उपभोक्ताओं को कठिनाइयों के बचाने के लिए, अगले उच्च ग्रेड के कोयले को आबंटित कर दिया जाता है। निम्न ग्रेड के आबंटित व्यक्तियों को कोयले के उच्च ग्रेड में परिवर्तित करना इस विषय में बिक्री नीति निदेशों के अनुसार किया जाता है, जिसका कि दिनांक 4.5.89 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों की 5वीं बैठक तथा कोल इंडिया लि० के निदेशक बोर्ड ने अपनी 102वीं बैठक में अनुमोदन कर दिया था। इस निर्णय से संबंधित सार नीचे दिया गया है:—

"रेल द्वारा — ऐसी कोलिरियां जहां कि रैक्स में केवल मिश्रित ग्रेड के कोयले के उठान की सुविधा है, सहायक कंपनियां समीपस्थ उच्च या निम्न ग्रेड के कोयले के लिए अपनी रज़ामंदी दे देती हैं ताकि लदान में किसी तरह की कठिनाई न हो तथा रैक्स न बन सकें।

सड़क द्वारा — सड़क से संयोजित उपभोक्ताओं को संयोजित ग्रेड से उच्च ग्रेड के कोयले को जारी किए जाने की अनुमति केवल तभी दी जाए जबकि संयोजित कंपनी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रेषित किए जाने